प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 964 /76याता (क)–उ0/2017 दिनांकः 30 नवम्बर, 2017

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग,
सहस्त्रधारा मार्ग, कुल्हान,
देहरादून।

विषयः– **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2017 को सम्पन्न राज्य सडक सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।**

संदर्भः– **परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6736/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(25)/2017 दिनांक 28 नवम्बर 2017**

महोदया,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के अनुपालन में लो0नि0वि0 से सम्बन्धित बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है–

बिन्दु संख्या 4– वर्षा ऋतु से क्षतिग्रस्त हुये सडकों का मरम्मत कार्य प्रगतिपर है, अधिकतर कार्यों के पैच मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं, तत्सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्रांक 962/76याता/(क)–उ0/2017 दिनांक 30.11.2017 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ताओं को निर्गत कर दिये गये हैं।

बिन्दु संख्या 16– विगत वर्षों में घटित सडक दुर्घटनाओं का Scientific Analysis हेतु District Road Safety Committee को शासन द्वारा निर्देशित किया जाना अपेक्षित है।

बिन्दु संख्या 18– कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 794/76 याता (क0)–उ0/2017 दिनांक 07 अक्टूवर 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे माह सितम्बर 2017 तक 196 No of Hoardings on N.H. तथा 20 No of Hoardings on State P.W.D. Remove कर दिये गये थे, शेष 05 No of Hoardings on State P.W.D. तथा 38 No of Hoardings N.H. with P.W.D. के Removed कर दिये गये हैं, अतः ड्राइवर का ध्यान आकृष्ट तथा अवरोध उत्पन्न करने वाले होर्डिंग्स को हटा दिया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक–424/76 याता उ0/2017 दिनांक 28 जुलाई 2017 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ताओं को वर्ष में 2 बार अर्थात माह, जून एवं माह, दिसम्बर में Hoardings Removal की सूचनाओं को Update किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (प्रतिलिपि आपको प्रेषित) आपके उपरोक्त पत्र के अनुपालन में Hoardings Survey हेतु माह, मार्च एवं सितम्बर निर्धारित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–962/76याता/(क)–उ0/2017 दिनांक 30.11.2017 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त फुटपाथों से समय–समय अतिक्रमण हटाने हेतु समस्त मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 21– लो0नि0वि0 में अभियन्ताओं को Road Safety and Road Safety Audit पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने हेतु CRRI दिल्ली से प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2018 के आखिरी सप्ताह के आयोजित किये जाने हेतु सहमति प्राप्त हुयी है।

CRRI Delhi को कुल 19.70 लाख का भुगतान किया जाना है, जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–843/76 याता उ0/2017 दिनांक 28 अक्टूवर 2017 द्वारा आपको रू0 19.70 लाख का आवंटन लो0नि0वि0 को करने हेतु अनुरोध किया गया है। (संलग्न)

Road Safety Auditor की PWD में अतिरिक्त नियुक्ति किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय किया जाना है।

बिन्दु संख्या 22– देहरादून जनपद के 5 मार्गों के Road Safety Auditing हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी है, जिसकी Last Date of Submission 15-12-2017 निर्धारित है, तथा 9 Black Spots हेतु D.P.R. Under Process है। 124 Black Spots की अद्यतन स्थिति संलग्न है।

क्रमशः पेज 2 पर.....

बिन्दु संख्या 24– मार्गों पर Traffic Calming Techniques के अन्तर्गत अवगत कराना है कि मार्गों पर Traffic Calming Techniques जैसे Rumble Strips, गतिसीमा बोर्ड, Cautionary, Regulatory, Informatory Retro Reflective Sign Boards, Medians, Thermoplastic road marking, Delineators, Zebra crossing etc आवश्यकतानुसार स्थलों पर पूर्व में स्थापित किये गये हैं, जिसकी सूचना आपको पूर्व में प्रेषित है, तथा संलग्न 124 Black Spots हेतु अद्यतन स्थिति प्रस्तुत है। रखरखाव के दौरान उक्त Measures स्थापित किया जाना एक सतत प्रकिया है जो कि सतत रूप से गतिमान है।

भवदीय

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5– श्री आर0सी0अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://www.pwd.uk.gov.in

पत्रांकः–799 /76याता0 (क)–उ0/2017 दिनांकः 07 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, मुख्यालय
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

विषय :– **दिनांक 13.04.2017 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त के सापेक्ष अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **आपका पत्रांक–2441/प्रवर्तन/स0सु0/एक–8(25)/2017, दिनांक 27.05.2017 एवं पत्रांक–5983/प्रवर्तन/एक–8(25)/स0सु0/2017, दिनांक 03.10.2017**

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित विषयक अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–280/76याता0 (क)–उ0/2017, दिनांक 08.06.2017 द्वारा बिन्दुवार आख्या प्रेषित की गई है, जिसे पुनः Updated कर प्रेषित हैः–

बिन्दु सं0 (1) माननीय उच्चतम न्यायालय के निगरानी में सड़क सुरक्षा के उपायों पर बनी समिति तथा समिति द्वारा सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण हेतु दिये गये सुझावों तथा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों का अनुपालन, राज्य में किए जाने के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर महत्वपूर्ण बैठके हुई है, सम्बन्धित बैठकों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा तद्विषयक समिति द्वारा प्रदत्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रथम चरण के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के राज्य मार्गो में लैण्ड प्लान, सम्बन्धित सर्वे कार्य एवं राज्य मार्गो को नोटिफाइड किए जाने के दिशा–निर्देश व सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी।

उक्त के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रथम चरण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय राज मार्गो, लम्बाई 4521.00 कि.मी. (लो0नि0वि0 राज्य राजमार्गो की कुल लम्बाई 4521 कि.मी., ADB project-II में प्रस्तावित लम्बाई 1000.00 कि.मी.) में लैण्ड प्लान तथा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु लिडार सर्वे आदि कार्य सम्पादित कराये जा रहें हैं, जिस हेतु वांछित धनराशि ₹ 0.20 लाख प्रति कि.मी. की दर से कुल ₹ 704.20 लाख की आवश्यकता होगी, किन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 500.00 लाख की सम्भावित आवश्यकता के दृष्टिगत योजनान्तर्गत ₹ 500.00 लाख की मांग शासन को प्रस्तावित की गई है। **(संलग्नक–1)**

बिन्दु सं0 (2.1) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.2) लो0नि0वि0 से एक अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी लीड एजेन्सी से सम्बद्ध कर दिया गया है।

बिन्दु सं0 (2.3) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.4) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.5) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.6) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.7) जनपद स्तर पर गठित जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक प्रति माह किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 277/76याता/2017, दिनांक 05.06.2017 एवं 278/76याता/2017, दिनांक 05.06.2017 द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सूचित कर दिया गया है। **(संलग्नक–2)**

क्रमशः पृष्ठ 02 पर.....

बिन्दु सं0 (2.8) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.9) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.10) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.11) पश्चिम बंगाल राज्य की कार्य योजना के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुये संशोधित कार्य योजना संकलित कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)** साथ–साथ भारत सरकार के प्रारूप पर सूचना संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

बिन्दु सं0 (2.12) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.13) राजमार्गो के किनारे लगे होर्डिंग्स/अवरोधक जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हटाए जाने की सूचना माह मार्च, 2017 में सर्वे के आधार पर संलग्न है। अवशेष होर्डिंग्स को हटाये जाने का लक्ष्य दिसम्बर, 2017 निर्धारित है।

बिन्दु सं0 (2.14) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.15) लोक निर्माण विभाग से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बिन्दु सं0 (2.16.1) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत रोड़ सेफ्टी मद में आगणन गठित कर दिनांक 30.11.2017 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित कर दिये जायेगें।

बिन्दु सं0 (2.16.2) इस कार्यालय के पत्रांक–391/76याता (क)–उ0/2017, दिनांक 12.07.2017 द्वारा सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया गया है। **(संलग्नक–5)** परन्तु एक डैडीकेटड रोड़ सेफ्टी सेल बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिये 1 अधीक्षण अभियन्ता, 2 अधिशासी अभियन्ता एवं 4 सहायक अभियन्ता के पद सृजन की आवश्यकता है।

बिन्दु सं0 (2.16.3) Black Spots के Rectification के अन्तर्गत डी0पी0आर0 केन्द्रीय सड़क निधि योजना (C.R.F.) में गठित कर प्रेषित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 277/76याता/2017, दिनांक 05.06.2017 एवं 278/76याता/2017, दिनांक 05.06.2017 द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सूचित कर दिया गया है। **(संलग्नक–)** (2A & 2B)

Black Spots के rectification के लिए डी0पी0आर0 गठन हेतु Road Safety Auditor की recommendation लिया जाना आवश्यक है। उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के मार्गो हेतु Road Safety Auditor के empanelment हेतु कार्यवाही गतिमान है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
6– श्री आर0सी0अग्रवाल, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)

संलग्नक - 01

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में नई मॉग के अन्तर्गत लैण्ड प्लान तथा स्टेट इनफ्रस्ट्रक्चर सम्बन्धी सर्वे कार्य हेतु प्रस्तावित मॉग।

माननीय उच्चतम् न्यायालय की निगरानी में सड़क सुरक्षा के उपायो पर बनी कमेटी तथा कमेटी द्वारा सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण हेतु दिये गये सुझावो तथा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशो का अनुपालन, राज्य में किया जाने के लिये मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, सम्बन्धित बैठकों में माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्देशों तथा तद्विषयक कमेटी द्वारा प्रदत्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिये प्रथम चरण के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के राज्य मार्गो में लैण्ड प्लान तथा स्टेट इनफ्रस्ट्रक्चर सम्बन्धी सर्वे कार्य एवं राज्य मार्गो को नोटिफाईट किये जाने के दिशा–निर्देश व सैदान्तिक सहमति प्रदान की गई थी।

उक्त के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रथम चरण के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय राजमार्गो, लम्बाई 3521 किमी0 (लो0नि0वि0 के राज्य राजमार्गो की कुल लम्बाई 4521 किमी0– ए0डी0बी0 प्रोजेक्ट –II में प्रस्तावित लम्बाई 1000 किमी0) में लैण्ड प्लान तथा स्टेट इनफ्रस्ट्रक्चर हेतु रडार सर्वे आदि कार्य सम्पादित कराये जा रहे है, जिस हेतु वॉछित धनराशि ₹ 0.20 लाख प्रति किमी0 की दर से कुल ₹ 704.20 लाख की आवश्यकता होगी, किन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 500.00 लाख की सम्भावित आवश्यकता के दृष्टिगत योजनान्तर्गत ₹ 500.00 लाख की मॉग निम्नानुसार प्रस्तावित की जा रही है।

यह भी अवगत कराना है कि प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य राजमार्गो का लैण्ड प्लान सर्वे कार्य तथा नोटिफिकेशन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त अग्रेत्तर चरणो में मुख्य जिलामार्गो, जिला मार्गो तथा ग्रामीण मार्गो में भी लैण्ड प्लान का सर्वे कार्य तथा नोटिफिकेशन कराया जाना प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–22,	(धनराशि हजार ₹ में)
लेखाशीर्षक 3054– सड़क तथा सेतु	
03– राज्य राजमार्ग	
337– सड़क निर्माण कार्य	
05– लैण्ड प्लान तथा स्टेट इनफ्रस्ट्रक्चर सम्बन्धी सर्वे कार्य	
0029– अनुरक्षण	50000

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की नई मॉगो के अन्तर्गत उक्त वर्णित योजना के लिये आवश्यक वित्तीय प्राविधान कराये जाने का कष्ट करें।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

(संलग्नक-2A)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/2531072

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://www.pwd.uk.gov.in

पत्रांकः-277 /76याता0 (क)–उ0/2017

दिनांकः 05 मई, 2017

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

विषय :– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य मार्गो प स्थित Identified Black Spots के सुधार के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–
1– इस कार्यालय का पत्रांक– 236/76याता0 (क)–उ0/2017, दिनांक 22 मई, 2017 *(प्रति संलग्न)*
2– इस कार्यालय का अर्द्धशासकीय पत्रांक–200/76याता(क)–उ0/2017, दिनांक 05 मई, *2017 (प्रति संलग्न)*
3– परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 1707/प्रवर्तन/स0सु0/एक–8(25)/2017, दि0 21.04.201 एवं पत्रांक– 2194/प्रवर्तन/स0सु0/एक–8(38)/2017, दिनांक 15.05.2017 *(प्रति संलग्न)*

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वार गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में उत्तराखण्ड राज्य में हु सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों के अनुसार कुल 65 Black Spots चिन्हित किये गये है (संलग्न)। जिनमें 15 Black Spots वे हैं जो वा 2013, 2014 व 2015 में हुई सड़क दुर्घटनाओं के अनुसार भी Identified है, अर्थात इन 15 स्थानों पर पुनः दुर्घटनाऐं हुई है तथ 50 Black Spots, वर्ष 2014, 2015, व 2016 में हुई सड़क दुर्घटनाओं के अनुसार नए चिन्हित किये गये है। अतः मा0 समिति वे निर्देशानुसार Black Spots के Rectification हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 132/76याता/2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 (प्रति संलग्न) द्वारा जो परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड को अनुमोदनार्थ प्रेषित प्रोटोकॉल व वार्षिक कलैण्डर (संशोधित) के अनुसार आवश्यक वांछित कार्यवाही पूर्ण कर, सम्बन्धित प्रपत्र– 'A' व 'B' पर आख्या तत्काल प्रेषित किया जाना है।

इसी प्रकार वर्ष 2013, 2014, व 2015 में हुई दुर्घटनाओं के अनुसार चिन्हित 93 Black Spots पर Long Term एवं Short Term measures हेतु की गई कार्यवाही का Updated status, संशोधित प्रपत्र– 'A' व 'B' (संलग्न) पर तत्काल प्रेषित किया जाना है।

उक्त के साथ–साथ इस कार्यालय का अर्द्ध शासकीय पत्रांक– 200/76याता(क)–उ0/2017, दि0 05.06.2017 पर आवश्यक कार्यवाही भी तत्काल प्रेषित किया जाना है।

उपरोक्त के साथ–साथ अपने क्षेत्र के अधीन मार्गो को दुर्घटना रहित बनाये जाने के क्रम में माननीय समिति के निर्देशानुसार Action Pillar-2 के Activity no. 1 to 15 हेतु वांछित कार्यवाही पूर्ण कर आख्या शीघ्र प्रेषित किया जाना है।

अतः अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित को अनुपालन किये जाने हेतु तद्सम्बन्धित सख्त दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– रीजनल आफिसर, एन0एच0ए0आई0, बलवीर रोड़, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– श्री के0पी0 उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
8– अधीक्षण अभियन्ता, ...वृत्त, लो0नि0वि0/रा0मा0.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
9– प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

(संलग्नक-2B)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://www.pwd.uk.gov.in

पत्रांकः-278 /76याता0 (क)-उ0/2017 दिनांकः 05 जून, 2017

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

विषय :- **दिनांक 13.04.2017 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त के सापेक्ष अनुपालन किया जाना।**

सन्दर्भः- **परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 1707/प्रवर्तन/स0सु0/एक-8(25)/2017, दिनांक 21.04.2017 एवं पत्रांक-2441/प्रवर्तन/स0सु0/एक-8(25)/2017, दिनांक 27.05.2017** ***(प्रति संलग्न)***

महोदय,

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13.04.2017 को सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान निर्गत कार्यवृत्त, जो परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्रांक-1707/प्रवर्तन/स0सु0/एक-8(25)/2017, दिनांक 21.04.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसके अनुपालन में निम्नवत् बिन्दुवार निर्देश प्राप्त हुये हैं।

बिन्दु सं0 2.7: कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 2.7 का अवलोकन करें, जिसके अन्तर्गत मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-662/IX-1/39/2014, दिनांक 09.12.2014 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राज्य के मार्गो को दुर्घटना रहित बनाए जाने हेतु Pillar-2 के Activity No.-1 से 15 एवं Road Side Land Protection Act. 2014 के अन्तर्गत Land Plan बनाया जाना तथा Identified Black Spots के Rectification सम्बन्धित आवश्यक कार्य योजना पर प्रत्येक माह बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः अपने अधीन प्रत्येक जनपद में लो0नि0वि0 के नामित अधिकारी को उक्त सम्बन्ध में दिशा-निर्देश अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें।

बिन्दु सं0 2.11: कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 2.11 का अवलोकन करें, जिसके अनुपालन में विगत वर्षो में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाना है, उक्त विश्लेषण के आधार पर राज्य में नए दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र, दुर्घटनाओं के कारण और विभिन्न सड़क तप्रयोक्ताओं को चिन्हित करते हुए, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी है। उक्त डाटा के आधार पर आगामी वर्षो के लिए सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तैयार किया जाना है, जिसमें विभाग में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए, अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संशोधित कार्ययोजना तैयार किए जाने हेतु अपने स्तर से तद्सम्बन्धित दिशा-निर्देश निर्गत करने का कष्ट करेगें। उक्त कार्यवाही हेतु सड़क सुरक्षा सम्बन्धित Road Safety Auditor की Recomendations भी अवश्य लिया जाय।

बिन्दु सं0- 2.13: कार्यवृत्त के बिन्दु सं0- 2.13 का अवलोकन करे, जिसके अन्तर्गत राजमार्गो के किनारे लगे होर्डिंग्स/अवरोधक जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हटाए जाने का लक्ष्य दिनांक 31.12.2017 तक निर्धारित किया गया है एवं प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में दो बार अर्थात माह जून व दिसम्बर में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा होर्डिंग/अवरोधकों का सर्वे किये जाने के भी निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तद्सम्बन्धित दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी करने का कष्ट करें।

बिन्दु सं0- 2.16.3: कार्यवृत्त के बिन्दु सं0– 2.16.3 का अवलोकन करे, जिसके अन्तर्गत मार्गो पर स्थित वर्ष 2013, 2014 2015 तथा वर्ष 2014, 2015 व 2016 में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर Identified Black Spots के Rectification पर प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए, केन्द्रीय सड़क निधि योजना (C.R.F.) में डी0पी0आर0 गठित कर प्रेषित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। चूँकि CRF के आगणन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, इसलिए आगणनों में Road Safety Auditor का सुझाव/input अवश्य सम्मिलित कर लिया जाय।

अतः अपने क्षेत्र के अन्तर्गत तत्सम्बन्धित दिशा–निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3– मुख्य सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– श्री के0पी0 उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, ...वृत्त, लो0नि0वि0.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
7– प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

संलग्नक 03

PILLAR 2 : SAFER ROADS AND MOBILITY

State Name - UTTARAKHAND

S. No.	ACTIVITY	TARGET	NODAL AGENCY	OTHER STAKEHOLDERS	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS	Annexure
1	The design standards for Indian roads are contained in the Codes of Practice and Standards of the Indian Roads Congress. Detailed instructions in this regard were issued by the Ministry of Road Transport and Highways vide their Circular No. RW/NH-35072/04/2004-S&R(R) Dated 27th April, 2010. No estimate should be sanctioned by the State Government unless the recommended provisions have been issued.	Forthwith	State PWD		N.A.	(1)- Road Safety Audit cell established vied ENC/HOD, PWD, Uttarakhand letter No.-391/76 यातां (क)–उ0/2017, dated 12 july, 2017 with comprising One Chief Engineer, One Supertending Engineer & Two Assistant Engineer. (2)- Estimates sent to Govt. are being framed as per IRC & MORD Norms.	
2	Improving Road Marking and signages: All state highways and other roads should have signs and road markings as per IRS standard.		State PWD	Public	Based on improvement proposal of roads, including pavement condition	Based on improvement proposal of roads including pavement canditions and as per recommendation Road Safety Auditor On going progress on N.H. with PWD- 490.00 km S.H.- 780.00 Km MDR- 119.00 km	
3	Road Safety Audit and Implementation of Recommendation: RSAs should be done on all State highways and other roads. Implementation or RSA recommendations by devising a safety measures plan should be put in place.	Total length of road for Road Safety Auditing :- NH - 2186.00 km SH - 4521.00 km MDR - 2152.00 km ODR - 2651.00 Km VR - 20269.00 km **Total - 31779.00 km**	State PWD	Public	Depends on recommendations of RSA	(1)- Road Safety Audit of 84 roads of Sate PWD has been done as below by ADB funded. S.H. - 68.777 Km M.D.R.-104.575 km ODR - 382.865 Km V.R. - 418.514 Km **= 974.731 Km** (2)- Road Safety Audit during construction from 2 lane to 4 lane under progress on NH with NHAI - **207.00 Km** (3) Road Safety Audit at DPR stage in progress on NH with NHAI - **142.00 Km** (4) Under Char Dham Project, road safety audit has been done at DPR stage in length of **889.00 km** by NH with State PWD (5) Road Safety Audit of 1000 km SH (PWD) to be done upto 2018. (6) Balance of NH, SH & MDR Road Safety Audit to be done by State PWD/PMGSY after impanelment of road safety auditor and to be done by 2020.	

S. No.	ACTIVITY	TARGET	NODAL AGENCY	OTHER STAKEHOLDERS	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS	Annexure
4	Eliminate high risk stretches - Black Spots on State highways and other roads. (On the basis of accident report by Police Department for the year of 2013, 2014, 2015 & 2014, 2015, 2016)	State PWD - 25 No. NH with State PWD - 45 No. NH with NHAI - 54 No. Total - 124 No.	State PWD	Public & State Police	Will be taken up after RSA.	**Detail of 25 No.Black spots of State PWD .** **Short term remedial measures** (i)- 21 No. Black Spots has been completed. (ii)- 2 No. Black Spots not required for rectification. (iii)- 2 No. new identified Black Spots to be rectified after inspection of District Road Safety committee/RSA recommendations. **Long term remedial measures** (i)- 2 No. Black Spots to be rectified after auditing by RSA . (ii)- 2 No. Black Spots under progress DPR preparation. (iii)- 1 No. Black Spots under progress on DPR preparation by NHAI. (iv)- 1 No. Black Spots is in under progress. (v)- 1 No. Black Spots has been completed. (vi)- 15 No. Black Spots have not any requirment of Long term measures. (vii) 1 No. Black Spots not possibility for Long term measures. (viii) 2 No. of new identified Black Spots to be rectified after inspection of District Road Safety committee/RSA recommendations.	
						Detail of 45 No.Black spots of NH with State PWD . **Short term remedial measures** (i)- 26 No. Black Spots completed. (ii)- 1 No. Black Spots required repair of traffic signal. (iii) 1 No. black spots in UP (iv) 8 No. Black Spots yet not started. (vi) 9 No. new identified Black Spots to be rectified after inspection of District Road Safety committee/RSA **Long term remedial measures** (i)- 5 No. Black Spots covered by Char Dham Project (Work of 2-lane with paved shoulders including geomatric improvement sanction by Ministry, & LOA Issued.) (ii)- 2 No. Black Spots completed. (iii)- 6 No. Black Spots covered by 4 laning work proposed. DPR under preparation. (iv)- 4 No. Black Spots under Stayed by Hon'ble High court. (v)- 6 No. Black Spots, no requirment of Long term measures. (vi) 2 No. Black Spots to be rectified after road safety auditing by RSA. (vi) 1 No. Black Spots rectified after repair of triffc signal (Libility of Traffic Police). (viii) 1 No. Black Spots to be rectified after construction ROB for which sanctioned has been occured. (ix) 8 No. Black Spots to be rectified by NHAI under 4 laning project for which DPR preparation and L.A. (x) 1 No. Black Spots to be rectified under juridiction of NH U.P. PWD Saharanpur. (xi) 9 No. new identified Black Spots to be rectified after inspection of District Road Safety committee/RSA recomendations.	
						Detail of 54 No.Black spots of NH with NHAI. All the Black Spots under covered with 2 lane to 4 laning under BOT project work in progress. Road Safety Audit during construction is going on for Long & Short term measures.	

S. No.	ACTIVITY	TARGET	NODAL AGENCY	OTHER STAKEHOLDERS	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS	Annexure
5	Improvement of junctions on State Highways and other roads.	Number of Junction to be identified by RSA	State PWD	Public & State Police	Depends on recommendations of RSA	(i) After identification of junctions for improvement, @15 No. per year to be rectified on State PWD road. (ii) Junctions on NH with State PWD in length 889.00 Km to rectified with Char Dham Project. (iii) Junctions on NH with NHAI in length 207.00 Km is in progress under construction of 2 lane to 4 lane project. (iv) Junctions on SH PWD in length 1000 Km to rectified under ADB project for which DPR work in progress. (v) Junction on Balance NH length to be rectified after recommendation of RSA.	
6	Improve lighting on Highways near Habitations.	Nil		Public	N.A.	This work is carried out by Municipal Bodies.	
7	Removal of dangerous road side objects.	Total numbers of Hoardings on the road of NH with State PWD - 234 No. S.H. & MDR - 25 No.	State PWD	Public	300.00	196 No. of hoardings on NH with State PWD & 20 No. of hoardings on State PWD has been removed and remaining 43 No. of hoardings will be remove upto Dec. 2017.	
8	Training for Road Safety: Engineers involved in planning, design, construction and operation of Highways need to be trained on road safety. In addition, consultants, contractors and concessionaires also need to be trained. Facilityy available at the Indian Academy of Highway Engineers(IAHE).	Total numbers of Engineers in PWD = 1274 No.	State PWD	PWD	300.00	22 Engineers have been trained for Road Safety by (I.A.H.E.). For training of balance engineers in Kumaun & Garhwal Zone, proposal invited from I.A.H.E. Noida (UP) & C.S.I.R. New Delhi vide ENC (HOD) PWD, UK letter No.- 650/76यात0 (क)–उ0/2017, dated 19-09-2017 & 651/76यात0 (क)–उ0/2017, dated 19-09-2017 After recieved of proposal for which, all remaining Engineers to be trained for Road Safety.	
9	Provision of separate roads for bicycles and non motorised modes on all arterial roads and highways.	Nil	State PWD	Municipal Bodies	N.A.	Non motorised modes of transport are not common in hills.	
10	Establish a specialist road safety unit to monitor and improve the safety of road network.		State PWD	Public	N.A.	Road Safety unit as lead agency has been framed. Lead agency is monitoring regularly on all Activities of Road Safety.	

S. No.	ACTIVITY	TARGET	NODAL AGENCY	OTHER STAKEHOLDERS	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS	Annexure
11	Speed calming measures on Highways near inhabited areas. At present, there is insufficient facility for people to crossover from one side to other as a consequence of which large number of pedestrian deaths are taking place in these areas. Provosion of crossover for pedestrian and safety devices like central verge, railing, grills on both sides of the Highways. There is also need for setting speed limits, caution signs, speed calming measures like table top speed breakers, rumble strips on highways particularly on vulnerable locations so that vehicles slow down at appropriate places.	Total length of road for establishment of speed calming measures NH - 2186.00 km SH - 4521.00 km MDR - 2152.00 km ODR - 2651.00 Km **Total - 11510.00 km**	State PWD	Public Schools	500.00	District Road Safety Commitee has been established by Govt. for inspection of all accident prone stretches and for location of establishment of speed calming measures vied Commissioner transport department, Uttarakhand letter No.-4629/परिवर्तन/स0–सु0/1–8(50)/2017. dated 13 July, 2017 comprising with all District Magistrate nominated as Prsident (Road Safety). Procceeding for empanelment of Road Safety Auditor is being under progress. After auditing by Road Safety Auditor, all required places for speed calming measures on road will be done upto 2020.	
12	Installation of speed management measures by way of transition from highway to city traffic.	For speed management measures by way of transition from highway to cities traffic post should be established by Traffic Police.	State PWD	Public	Depends on recommendations of RSA	After auditing of road by Road Safety Audtior, all speed management measures will be established as recommendations of RSA. All speed management will be done up to 2020.	
13	Providing truck lay bays and providing bus bays and bus shelters along State highways.	NH witth NHAI - 5 No. NH with State PWD - 20 No. State PWD - 3 No. **Total - 28 No.**	State PWD	Transport Associations	Nill	Bus bays/shelters at three places will be done upto 2020. (i) 5 No. to be covered 4 laning project, work in progress. (ii) 20 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress. (iii) 3 No. to be construction under sanction project after recommendation of RSA.	
14	Wayside amenities for long distance drivers: A large number of accidents happen because long distance drivers do not have wayside amenities for rest and recuperation. There is urgent need to establish these amenities on roadsides at national and other highways because accidents generally happen due to fatigue and over work. Transports need to be educated to gave a reasonable schedule of movement of vehicle which will not force drivers to drive long hours without sleep and rest.	NH with NHAI - 6 No. NH with State PWD - 33 No. **Total - 39 No.**	State PWD		Nill	Wayside amenities at 39 places will be done upto 2020. (i) 6 No. to be covered in 4 laning project, Work in progress. (ii) 33 No. to be covered with single lane to 2 lane Char Dham Project for which DPR and LA work in progress.	

S. No.	ACTIVITY	TARGET	NODAL AGENCY	OTHER STAKEHOLDERS	RESOURCES REQUIRED (Rs In lac)	PROGRESS	Annexure
15	Develop a model stretch of Safe highway on an accident prone stretch and evaluate results.	NIL	State PWD		Depends on recommendations of RSA	Stretch is being selected.	

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभगाध्यक्ष
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

2/(32/95-04

1. Institutional Mechanism for Road Safety In States

s.no	Name of State	Road Safety Policy(1)		Action Plan(2)					Accident/ Fatality Target(3)				
		Formulated /Adopted		Year Wise & Target based					Year Wise Fixed				Not Fixed
		Yes	No	Yes				No	Year Wise Target				
		Date		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	
1	Uttarakhand	Yes	NA	Yes	-	-	-	Target for long term remedial measures have been fixed but could not be implemented due to non availability of Road Safety Auditor.	10%	10%	10%	10%	Due to not availablity of Road Safety Auditor, Long term remedial measures not being fixed.

s.no	Name of State	1. Institutional Mechanism for Road Safety In States								
		State Road Safety Council Constituted/ Re constituted(4)					District Road Safety Committee(5)			
		Yes				NO	Constituted / Re-Constituted		Hold Meetings (Monthly Average)	
		Hold Meeting in a year					Total Districts	Constituted Districts	2016	2017
1	Uttarakhand	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

s.no	Name of State	1. Institutional Mechanism for Road Safety In States									
		Established Lead Agency(6)									
		Notified/Constituted									
		Yes									No
		Incharge of Lead Agency at State Level		Total Staff	Stake Holder Departments						
		Department	Designation		Transport	Police	PWD	Health	Education	Local Body	
1	Uttarakhand	NA	NA	NA	NA	NA	1- State PWD 2- PWD looking after NH 3- NHAI	NA	NA	NA	NA

s.no	Name of State	1. Institutional Mechanism for Road Safety In States				
		Road Safety Fund(7)				
		Established/ Not Established				
		Yes				No
		Total percentage and amount of Collection of CF & Penalty	Any Other Source	Total Amount	Any Rule/Guideline Framed (Yes/No)	
1	Uttarakhand	NA	NA	NA	NA	No

		2. Road Engineering Measures												
S.no	Name of State	Black Spot Identification and rectification (1)												
		As per MORTH Definition 2015												
		Identified				Rectified				Draw up of Protocol & Annual Calendar				
		NH		State Road	Total	NH		State Road	Total	Yes				No
		NHAI	PWD			NHAI	PWD			2017	2018	2019	2020	
1	**Uttarakhand**													
	As per Accident record of 2013, 2014 & 15	34	36	23	93	--- (For detail of remaining Black spots please see on revised Action plan) **(Attached)**	26 No. Completed **(Short term)** (For detail of remaining Black spots please see on revised Action plan) **(Attached)**	21 No. completed **(Short term)** (For detail of remaining Black spots please see on revised Action plan) **(Attached)**	47 No completed **(Short term)**	--	--	--	--	Protocol and Annual Calender has been revised. **(Attached)**
	As per Accident record of 2014, 2015 & 16	37 (17 Repeated + 20 New)	23 (14 Repeated + 9 New)	05 (03 Repeated + 02 New)	65 (34 Repeated +31 New)									
	Total Black Spot	**54**	**45**	**25**	**124**									

		2. Road Engineering Measures									
S.no	Name of State	Road Safety Audit(2)							Traffic Calming Techniques (3)		
		Operational/ Existing Road				New Road Project			Adopted		
		Yes			No	Yes		No	Yes	Partially	No
		Total Length of Road	Black Spot	Implementation of Recommendation		Project More than 10 Cr.	All New Road (Including Upto 10 Cr.)		Total Places / Stretch Covered in a District/State		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UTTARAKHAND	--	--	--	--	--	--	--	Number of places where traffic calming measures required at Hospital, Junction and School at S.H. & M.D.R. Depends on recommendations of RSA, hence it will be informed after Road Safety Auditing.	--	--
1	N.H.	2186.00	**93** (On the Basis of year 2013, 2014, 2015) & **65** (On the Basis of year 2014, 2015, 2016)	Road Safety Audit was done in 84 roads having length 1000.36 Km in 2015 under ADB funded projects in SH & MDR & the same are being implemented. Work sanctioned under Char Dham project, Road Safety Audit has been done in length of 889 km (In packeges in 5 NH)	--	NH with State PWD- 10 No. State PWD - 12 No.	--	--			
2	S.H.	4521.00									
3	MDR	2152.00									
4	ODR	2651.00									
5	VR	20269.00									
	Total	**31779.00**	**158**								
			34 (Repeated)								
			124 **(Net)**								

		2. Road Engineering Measures												
S.no	Name of State	Implement Recommendation of the Working Group on Engineering(4)			Impart Training in Road Safety Audit to Engineers(5)						Speed Limit Notification in All District(6)		
		Yes	No	Partially	Started						Notified		
					Yes					No	Yes		No
					Annual Calender of Training of Total Percentage of Engineers						Display of Speed Limit Board		
					2016	2017	2018	2019	2020		Districts where board is displayed	Total Districts	
1	Uttarakhand	--	--	recommendations of working group Engineers have been fllowed by working engencies. Viz: NHAI, NH State, PWD State.	अभियन्ताओं को Road Safety Audit का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक–650/76 याता (क)–उ0/2017, दिनांक 19.09.2017 (संलग्नक–07) एंव पत्रांक–651/76 याता (क)–उ0/2017, दिनांक 19.09.2017 (संलग्नक–08) द्वारा इडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजिनियर्स, नोयडा (यू0पी0) एवं सी0एस0आई0आर0, नई दिल्ली को उत्तराखण्ड में कुमायूँ जोन व गढ़वाल जोन में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात अभियन्ताओं को Raod Safety सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।					--	13	13	--

S. No.	Name of State	3. Law Enforcement					
		Analysis of Vulnerable Spots/Roads (1)		Strengthning of Police and Equipment as per MHA norms (2)			
		Number of Identified Spots	Action Taken/ Analysis	Police		Equipment	
				Required	Existing	Required	Existing
1	Uttarakhand	-	**निर्माण एजेन्सी से सम्बन्धित सूचनाः–** दुर्घटना सम्भावित स्थलों का निरीक्षण करने हेतु जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा स्थलों का निरीक्षण कर कार्ययोजना तैयार की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त उत्तरखण्ड का पत्रांक–4629/परिवर्तन/स0–सु0/1–8(50)/2017, दिनांक 13.07.2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारी (अध्यक्ष) जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति एवं प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड के अर्द्धशासकीय पत्रांक–200/76याता(क)–उ0/2017, दिनांक 05.05.2017 द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को तत् सम्बन्धित निरीक्षण व कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु सूचित किया गया है। सूचना अपेक्षित है।	NA	NA	NA	NA

S.No	Name of State	3. Law Enforcement									
		Patroling Highways (3)						Alcohol Sale Ban on NH/SH (as per HSC) (4)			
		NH			SH			NH		SH	
	•	Total Length (in KM)	Required resources (per KM)	Existing resources (per KM)	Total Length (in KM)	Required resources (per KM)	Existing resources (per KM)	Existing Liquor Shops Before Order	Number of Liquor Shops Removed	Existing Liquor Shops Before Order	Number of Liquor Shops Removed
	UTTARAKHAND										
1	NH	2134	0.21 Lac	0.21 Lac	4521.00	0.09 Lac	0.09 Lac	NA	NA	NA	NA
2	NHAI	337									
3	BRO	483									
	Total	**2954**									

s.no	Name of State	3. Law Enforcement								
		DL Suspension u/s 19 & CMVR 21 (5)								
			Over Speeding		Red Light Jumping		Use of Mobile Phone While Driving		Overloading	
	•	Period	No.of Challan	No. of Suspension	No of Challan	No. of Suspension	No. of Challan	No. of Suspension	No of Challan	No of Suspension
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

S.No	Name of State	3. Law Enforcement													
		Removal of Hoardings and other distractions (6)			Pedestrian Path Encroachment Removal (7)			Councelling of violators (8)				Prosecution for imprisonment (9)			
		Identified Obstructions/ Distractions for Drivers	Number of Distractions Removed	Target for removal in year 2017	Identified	Removed	Target for removal in year 2017	Helmet		Seatbelt		Drunken Driving		Dangerous Driving	
								Challan	Participation	Challan	Participation	Challan	Prosecution	Challan	Prosecution
	Uttaarkhand														
1	N.H.	234	196	38	लोक निर्माण विभाग के अधीन फुटपाथों पर स्ट्रीट वेन्डर्स आदि द्वारा अतिक्रमण स्थापित किये जाते हैं, जिन्हे प्रशासन, पुलिस एवं इंजीनियरिंग विंग की संयुक्त टीम द्वारा समय–समय पर अभियान चलाकर हटा दिये जाते हैं।			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SH & MDR	25	20	5				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Total	**259**	**216**	**43**	**0**	**0**	**0**								

s.no	Name of State	3. Law Enforcement							
		Establishment of Automated Driving Test Track (10)		Establishment of Inspection & Certification Center (11)		Fitment of Speed Limiting Device (12)			
		Number of Automated Tracks	Total RTO	Number of I&C Center	Total RTO	Existing Transport Vehicle w/o SLD	Number of Approved Fitments of SLDs	Registration Number engraved on SLDs (Yes/No)	Number of UIDs of SLD uploaded in VAHAN
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

s.no	Name of State	4. Education									
		Road Safety Awareness Programmes and Evaluation (1)									
		Panchayat/Municipal Ward Level		Block Level		District Level		State Level		Evaluation	
		Regular Programmes	One Time Programmes	Regular Programmes	One Time Programmes	Regular Programmes	One Time Programmes	Regular Programmes	One Time Programmes	Total Programs Evaluated	Results/ Effects
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

s.no	Name of State	4. Education									
		Undertaken programmes to educate all stake holders (2)									
		Transport		Police		PWD		Health		Local Body/Municipal Corporation	
		Total Executive Staff	Staff Trained	Total Executive Staff	Staff Trained	Total Executive Staff	Staff Trained	Total Executive Staff	Staff Trained	Total Executive Staff	Staff Trained
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

s.no	Name of State	4. Education							
		Road Safety Curriculum in Schools (3)				Road Safetu Film in cinema (4)			
		Class	Subject Wise	Chapter in Subject Wise	Included in Examination (Yes/No)	Total Cinema Halls	Cinemas running films	Run Time Duration	Frequency in a Day
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

s.no	Name of State	5. Emergency Care											
		Trauma Care Center, staff and ambulances											
		Level 1				Level 2				Level 3			
		Existing		Required		Existing		Required		Existing		Required	
		Staff	Ambulance	Staff	Ambulance	Staff	Ambulance	Staff	Ambulance	Staff	Ambulance	Staff	Ambulance
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

s.no	Name of State	5. Emergency Care				
		Trauma Care Centers				Universal Accident HelplineNumber(s)
		Level 4				
		Existing		Required		
		Staff	Ambulance	Staff	Ambulance	
	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA	NA

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://www.pwd.uk.gov.in

पत्रांकः–351 /76याता0 (क)–उ0/2017 दिनांकः 12 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–1244/प्रवर्तन/1–8/स0सु0/2015, दिनांक 20.04.2015 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि राज्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विभागों में समन्वय एवं समयबद्ध कार्यवाही के दृष्टिगत सम्बन्धित सभी विभागों में सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया जाय।

उक्त आदेशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–153/76याता (क)–उ0/2017, दिनांक 15 अप्रैल, 2017 द्वारा सड़क सुरक्षा सेल का गठन किया गया था। जिसमें निम्न अधिकारियों को नामिति किया गया था।

1– श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, देहरादून।
2– श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
3– श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध लीड एजेन्सी, रोड सेफ्टी, कार्यालय सचिव/परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून। श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सेल के दायित्वों का निर्वाहन करते हुये लीड एजेन्सी के मध्य समन्वय स्थापित करेंगें।
4– श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5– श्री आई0डी0भटट्, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

श्री के0पी0उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून का स्थानान्तरण अन्यत्र होने के फलस्वरूप सड़क सुरक्षा सेल का पुनर्गठन करते हुये निम्नवत् अधिकारियों को नामित किया जाता है:–

1– श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, गढ़वाल क्षेत्र, लो0नि0वि0, देहरादून।
2– श्री आर0सी0 अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
3– श्री राजेश चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, 10वां वृत्त, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून।
4– श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध लीड एजेन्सी, रोड़ सेफ्टी, कार्यालय सचिव/परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून। श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, सेल के दायित्वों का निर्वाहन करते हुये लीड एजेन्सी के मध्य समन्वय स्थापित करेंगें।
5– श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
6– श्री आई0डी0भटट्, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

अधीक्षण अभियन्ता, 10 वृत्त, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0, देहरादून, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मा0 समिति एवं सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4557/प्रवर्तन/1–8(3)/स0सु0/2017, दिनांक 10.07.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त बी0आर0ओ0 एवं एन0एच0ए0आई0 स्वामित्व वाले मार्गो में की जा रही कार्यवाही/प्रगति सम्बन्धित वांछित सूचनाओं को संकलित कर नोडल अधिकारी (रोड़ सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को उपलब्ध करायेंगें।

अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मा0 समिति एवं सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड शासन तथा तत्संबंधित अन्य प्राप्त पत्रों के क्रम में वांछित समस्त सूचनाओं को संकलित कर सचिव/आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करेंगे एवं विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाले मार्गो में की जा रही कार्यवाही/प्रगति की नियमित रूप से Monitoring करेंगें एवं प्रगति सम्बन्धित संकलित सूचना को अधोहस्ताक्षरी तथा प्रमुख अभियन्ता (विभगाध्यक्ष), लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को अवगत कराते रहेंगें।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर.....

नोडल अधिकारी, सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही/दिशा निर्देशन हेतु श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्त (राष्ट्रीय राजमार्ग), लो0नि0वि0, देहरादून के अधीन कार्य करेंगें। श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपेक्षित सहयोग के साथ–साथ भारत सरकार/प्रदेश स्तर पर होने वाली बैठको में भी आवश्यकतानुसार समय–समय प प्रतिभाग करेंगें।

(एच0के0उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
4– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/रा0मा0/UDRP/UEAP/USRIP।
6– श्री आर0सी0 अग्रवाल, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
7– श्री के0पी0 उप्रेती, अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।
8– श्री आर0के0 कलवार, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9– श्री आई0डी0भटट्, सहायक अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10– प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 843/76याता (क)–उ0/2017 दिनांकः 28 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
परिवहन विभाग,
सहस्त्रधारा मार्ग, कुल्हान,
देहरादून।

विषयः– **लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड़ के अभियन्ताओं के लिए "Road Safety and Road Safety Audit" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्धी अवगत कराना है कि दिनांक 31.08.2017 की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक–651/76 याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 19.09.2017 द्वारा देहरादून और हल्द्वानी में लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड़ के अभियन्ताओं के लिये "Road Safety and Road Safety Audit" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने हेतु CRRI दिल्ली से अनुरोध किया गया था।

इसके क्रम में CRRI दिल्ली के पत्रांक सी0आर0आर0आई0/क्यू0ए0सी0/आई0एल0टी0/01/1(बी0) 175, दिनांक 25.10.2017 **(प्रति संलग्न)** द्वारा पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दो माह में एक बार देहरादून और हल्द्वानी में आयोजन करने के लिये सहमति दी गयी है। जिसमें 50–60 प्रतिभागियों द्वारा एक बैच में भाग लिया जा सकता है। CRRI के अनुसार पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2018 के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है।

एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू0 15,000,00/= प्रति बैच + 18 प्रतिशत GST कुल धनराशि रू0 17,70,000/= पाठ्य क्रम शुल्क CRRI द्वारा संलग्न उक्त पत्र के साथ प्रोफार्मा बिल के अनुसार मांगा गया है। इसके अतिरिक्त 7–8 फैक्लटी सदस्यों के 5 दिन आवासीय एवं लोकल परिवहन व्यवस्था लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड को अलग से वहन करने हेतु लिखा गया है। जिस हेतु रू0 2,00,000/= (आवास एवं प्रशिक्षण के दौरान चाय एवं लन्च तथा वाहन हेतु, अतिरिक्त धनराशि) अर्थात कुल रू0 17,70,000/= + रू0 2,000,00/= रू0 19,70,000.00 का व्यय वहन आयेगा।

यह भी अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक–650/76याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 19.09.2017 द्वारा IAHE नोयडा को भी प्रशिक्षण देने हेतु लिखा गया था, परन्तु उनके द्वारा समयाभाव के कारण उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण देने से मना कर दिया है।

अतः अनुरोध है कि CRRI के उक्त पत्र दिनांक 25.10.2017 के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु Road Safety मद से रू0 19,70,000.00 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वांछित धनराशि का आवंटन लो0नि0वि0 को करने का कष्ट करें, जिससे कि CRRI द्वारा प्रेषित प्रोफार्मा बिल के अनुसार रू0 17,70,000.00 एवं रू0 2,00,000.00 आवासीय, चाय, लंच एवं परिवहन पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जा सके।

संलग्नः– CRRI का पत्र दिनांक 25.10.2017 की प्रति।

भवदीय

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5– श्री आर0सी0अग्रवाल, नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, 9वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः– 962 /76याता0 (क)–उ0/2017 दिनांकः 30 नवम्बर, 2017

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,लो0नि0वि0
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

(2) मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0,
हल्द्वानी/देहरादून।

(3) रीजनल ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58/37 बलबीर रोड डालनवाला,
देहरादून।

(4) कमाण्डेन्ट,
सीमा सडक संगठन,
प्रोजेक्ट शिवालिक,
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर–।।
पी0एम0जी0एस0वाई0,
देहरादून/अल्मोडा।

विषय :– **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2017 को सम्पन्न राज्य सडक सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।**

संदर्भः– **परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6736/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(25)/2017 दिनांक 28 नवम्बर 2017**

महोदय,

कृपया परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्रांक–6736/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(25)/ दिनांक 28 नवम्बर 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें–

बिन्दु संख्या–04:– सडक दुर्घटनाओं के कारणों में एक कारण सडक का खराब होना भी पाया गया है, वर्षा ऋतु में सडकों पर पैच विकसित होने से यातायात में असुविधा तथा दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है, अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में Patch तथा अन्य Damages को तत्काल सुधारीकरण किया जाय।
उक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–891/76 याता0(क)–उ0/2017 दिनांक 09.11.2017 के निर्देशों का पालन भी किया जाय।

बिन्दु संख्या 16:– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में विगत वर्षों में घटित सडक दुर्घटनाओं का सांइटिफिक विश्लेषण करने हेतु District Road Safety Committee की संयुक्त टीम (परिवहन, पुलिस, इंजीनियरिंग विंग, एवं Road Safety Auditor) द्वारा Scientific Analysis Report तैयार किया जाना है, ताकि दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की जांच हो सके।
इस परिपेक्ष्य में इंजीनियरिंग विंग द्वारा District Road Safety Committee द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के दौरान सहयोग स्थापित किया जाय।

बिन्दु संख्या 18(1,2):–राजमार्गों के किनारे लगे होर्डिंग्स, जो यातायात में अवरोधक हैं, उन्हे Shift किया जाना है, मार्च 2017 तक प्रेषित रिपोर्ट के अनुरूप मार्गों से हटाये जाने वाले होर्डिंग्स की स्थिति निम्नवत है–

State Holder	Shift किये जाने वाले Hoardings की संख्या	Remark
N.H. with State	38	सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त Hoarding Remove कर दिये गये हैं, कृपया आप भी इसकी पुष्टी कर लें।
State Highways & MDR	5	————तदैव————

क्रमशः पेज 2 पर.....

बिन्दु संख्या 18(4):–Hoardings Survey की सूचना Update किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित समय माह, **जून एवं दिसम्बर** को संशोधित करते हुये प्रतिवर्ष माह, **मार्च एवं सितम्बर** निर्धारित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं जिसका अनुपालन किया जाय।

बिन्दु संख्या 18(6):–फुटपाथों पर होने वाले अतिक्रमणों को समय–समय पर नगर निगम/ निकाय एवं पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीम का गठन कर हटाने की कार्यवाही की जाय, इसकी सूचना भी प्रेषित की जाय।

बिन्दु संख्या 22– वर्ष 2013, 2014, 2015 तथा 2014, 2015 व 2016 में घटित दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हित 124 Black Spots की अद्यतन स्थिति संलग्न है, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्वयं भी इसकी पुष्टी कर लें तथा तदनुसार आवश्यक D.P.R. गठन तथा अन्य कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।

Note:- **Black Spots जो Road Widening तथा अन्य स्वीकृत Projects के अन्तर्गत Cover हुये हों, उक्त Black Spots के Rectification हेतु D.P.R. अलग से गठित न किया जाय।**

बिन्दु संख्या 24– मार्गों पर Traffic Calming Technique के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक– 891/76 (क0)–उ0/2017 दिनांक 09 नवम्बर 2017 का अनुपालन किया जाय तथा प्राथमिकता के आधार पर चार जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, उधमसिह नगर तथा नैनीताल) के मार्गों पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक Traffic Calming Technique तथा अन्य Remedial Measures स्थापित किया जाना है। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन चार जनपदों के मार्गों के समस्त दुर्घटना सम्भावित स्थलों तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का Survey, जनपदीय सडक सुरक्षा समिति (परिवहन, पुलिस, Engineering Wing एवं Road Safety Auditor) द्वारा करते हुये, Suggested Short Term Remidial Messures तत्काल स्थापित किये जायं तथा Suggested Long Term Remidial Messures हेतु D.P.R. माह दिसम्बर तक अवश्य प्रेषित किये जांय।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
4– जनपदीय नोडल अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

सड़क सुरक्षा / उच्च प्राथमिकता।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608106 फैक्स न0–2608108

संख्या 6736 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(25) / 2017 दिनांकः 28 नवम्बर, 2017

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
9– कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश जिला–देहरादून।
10–रिजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58 / 37–बलवीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

विषयः–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09–10–2017 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09–10–2017 को सम्पन्न हुई राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अतः बैठक के कार्यवृत्त संख्या–789 / 25(2015) / ix–1 / 2017 दिनांक 17–11–2017 की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना संकलित करते हुये शासन को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

क्रमशः–2–

o/c

संख्या 6736 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(25) / 2017 समदिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन / गृह / लोक निर्माण / शहरी / आबकारी / वित्त / शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सदस्य लीड एजेन्सी, सम्बन्धित विभाग।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

o/c

28/11/2017

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone&Fax:-0135-253154/2531072
E-Mail-eicpwduk@nic.in
Website-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः-291 /76याता0 (क)–उ0/2016 दिनांकः 09 नवम्बर, 2016

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,लो0नि0वि0
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

(2) मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,लो0नि0वि0,
हल्द्वानी/देहरादून।

(3) रीजनल ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58/37 बलबीर रोड डालनवाला,
देहरादून।

(4) कमाण्डेन्ट,
सीमा सडक संगठन,
प्रोजेक्ट शिवालिक,
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।

(5) मुख्य अभियन्ता स्तर–।।
पी0एम0जी0एस0वाई0,
देहरादून/अल्मोडा

विषय :– **शीतकालीन मौसम में सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड का पत्रांक–6398/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(34)/2017 दिनांक 03 नवम्बर 2017**

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषय पत्रांक–6398/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(34)/2017 दिनांक 03 नवम्बर 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि शीत ऋतु प्रारम्भ हो गयी है तथा मैदानी जनपदों में कोहरे के कारण सडकों पर दृश्यता (विजीबिल्टी) अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः इस कारण से होने वाली सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह उपयुक्त होगा कि मुख्य सडकों पर रोड मार्किंग, रोड साईन, स्पीड लिमिट साईन बोर्ड, डिवाइडर लाईन आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त सडकों के किनारे सडक एज भी सही दशा में हो।

यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2017 के अधीन चार जनपदों के मार्गों पर घटित होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात 80 प्रतिशत पाया गया है, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार दुर्घटनाओं का मुख्य एवं अधिकतम कारण लापरवाही एवं वाहनों की तीव्र गति का होना प्रकट हुआ है। रोड मार्किंग, डिवाइडर लाईन, रोड साईनेज बोर्ड एवं स्पीड लिमिट तथा Informatory Sign board जैसे (कृपया बाई तरफ से over taking ना करें, तीव्र मोड आदि) स्थापित कर एवं अन्य Road Dificiencies का सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। जिस पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यहां पर यह भी अवगत कराना है कि इन चार जनपदों में दुर्घटनाओं में कमी लाकर उत्तराखण्ड में दुर्घटनाओं के प्रतिशत का ग्राफ नीचे लाया जा सकता है।

अतः अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी मार्गों का निरीक्षण करने एवं Road Safety guide line के अनुरूप तत्काल वांछित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु तथा कृत कार्यवाही की सूचना नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को प्रेषित करने हेतु संबन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
2– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लो0नि0वि0,उत्तराखण्ड शासन।
4– जनपदीय नोडल अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, एवं विभागाध्यक्ष
08 NOV 2017
उत्तराखण्ड लो०नि०वि०, देहरादून

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608106 फैक्स न0–2608108

संख्या 6398 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(34) / 2017 दिनांक: 03 नवम्बर, 2017

सेवा में,

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

2– मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

3– रीजनल आफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58 / 37, बलवीर रोड,
डालनवाला, देहरादून।

4– कमाण्डेन्ट,
सीमा सड़क संगठन,
प्रोजेक्ट शिवालिक,
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश।

विषयः **शीतकालीन मौसम में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि माह सितम्बर, 2017 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण से यह पाया गया है कि राज्य में लगभग 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं देहरादून / हरिद्वार / उधमसिंहनगर / नैनीताल जनपदों में घटित हुई हैं। इसके अतिरिक्त ब्लैक स्पॉट भी इन्हीं जनपदों में सर्वाधिक हैं।

उल्लेखनीय है कि शीत ऋतु प्रारम्भ हो गई है तथा मैदानी जनपदों में कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता (विजिबिल्टी) अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसके कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अतः इस कारण से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह उपयुक्त होगा कि मुख्य सड़कों पर रोड मार्किंग, रोड साईन, स्पीड लिमिट साईन बोर्ड, डिवाईडर लाईन आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे सड़क एज भी सही दशा में हो। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आपके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्यवाही यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें, ताकि शीतकाल में दृश्यता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सदस्य लीड एजेन्सी, लो0नि0वि0।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

शीर्ष प्राथमिकता/अनुस्मारक

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone&Fax:-0135-253154/2531072 E-Mail-eicpwduk@nic.in

Website-http://www.pwd.uk.gov.in

पत्रांकः–424 /76याता0 (क)–उ0/2017 दिनांकः 28 जुलाई, 2017

सेवा में,

1- मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।

2- मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0,
देहरादून/हल्द्वानी।

3- रीजनल आफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

विषय :– **मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 13.07.2017 को अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी के अधिकारियों के साथ रोड़ सेफ्टी के सम्बन्ध में सपन्न बैठक का कार्यवृत्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या।**

संदर्भः–
1. इस कार्यालय का पत्रांकः–389/76याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 11.07.2017 (प्रति संलग्न)
2. परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–4803/स0सु0/प्रवर्तन/एक–8(14)/2017, दिनांक 22.07.2017 (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, अवगत कराना है कि उपरोक्त वांछित सूचनाओं को 30 जुलाई, 2017 तक आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना है, जिसका मुख्यतः निम्नवत बिन्दुओं पर वांछित आख्या दिनांक 28 जुलाई, 2017 तक नोडल अधिकारी (रोड़ सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के Email ID:- sepwdddun@rediffmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करे।

(1) कैलेण्डर वर्ष 2013. 2014 व 2015 में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट के rectification हेतु Long term एवं Short term remedial measures पर की गई कार्यवाही सम्बन्धित दिनांक 31.3.2016 तक की status के अनुसार सूचनाएं, सम्बन्धित वृत्तीय कार्यालय द्वारा प्रपत्र– A व B पर उपलब्ध कराई गई, जिन्हे सचिव/आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड को पूर्व में प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड द्वारा अपेक्षा की गई है कि Short term/Long term remedial measures के सापेक्ष की गई कार्यवाही की दिनांक 30.06.2017 तक की अद्यतन स्थिति प्रपत्र A व B पर उपलब्ध कराई जाय।

(2) वर्ष 2014, 2015 व 2016 में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर कुल 65 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं, जिसकी प्रति भी आपको इस कार्यालय के पत्रांक–317/76याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 20.06.2017 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

क्रमशः पेज 02 पर.....

कृपया 65 ब्लैक स्पॉट की सूची में वर्णित ब्लैक स्पॉट का जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निरीक्षण कर पूर्व प्रेषित प्रपत्र–'A' एवं 'B' पर आख्या उपलब्ध कराया जाना है। निरीक्षण के दौरान यह भी अध्ययन करना है कि 65 ब्लैक स्पॉट में किन स्थलों पर पुनः दुर्घटना हुई है, जिसे प्रपत्र 'A' पर सूचित कर दिया जाय।

चूँकि उत्तराखण्ड राज्य में लोक निर्माण विभाग के मार्गो हेतु रोड़ सेफ्टी ऑडिटर की Empanelment की प्रक्रिया गतिमान है, तब तक बिना रोड़ सेफ्टी ऑडिटर के जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा उक्त 65 ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर प्रपत्र–'A' पर सूचना प्रेषित की जाय।

(3) पूर्व में आपको प्रेषित इस कार्यालय के पत्रांक– 389/76याता0(क)–उ0/2017, दि0 11.07.2017 द्वारा संलग्न, सचिव/आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड का पत्रांक–4277/प्रवर्तन/स0सु0/एक–8(27)/2017, दिनांक 24.06.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2017 को सम्पन्न बैठक हेतु दो प्रारूप (Excel Sheet & Word Sheet) सभी विभागों को उपलब्ध कराये गये थे (संलग्न)। उक्त प्रारूपों पर पूर्ण/स्पष्ट सूचना भी माह जुलाई, 2017 के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना है तथा उक्त प्रारूपों को इस कार्यालय के पत्रांक–389/76याता0(क)–उ0/2017, दिनांक 11.07.2017 द्वारा आपको पूर्व में ही प्रेषित किया गया है।

Word sheet format के मुख्य बिन्दुः–

बिन्दु– 02(6) का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन की अधिसूचना संख्या–52/IX/424/2009, दिनांक 30.01.2009 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों हेतु मार्गो पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्धारित गति सीमा का सूचना पट्ट (Board) मार्गो पर लगाए जाने की सूचना का विवरण लक्ष्य एवं उपलब्धि सहित प्रेषित किया जाना है।

बिन्दु 03(4) State Highway पर हुई दुर्घटनाओं पर आधारित विश्लेषण के अनुसार Road Patrol हेतु की गई व्यवस्था से अवगत कराया जाना है। यदि किसी खण्ड के अधीन राज्य मार्ग नहीं है तो सूचना 'N.A.' दी जाय।

बिन्दु 03(7) मार्गो पर कुल कितने Hoardings Removal किये जाने थे व कितने हटा दिये गये हैं, उसकी सूचना प्रेषित किया जाना हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार साल में दो बार अर्थात जून व दिसम्बर में सूचनाओं को Update कर प्रेषित किया जाना है। (माह जून की Updated सूचना अपेक्षित है।)

बिन्दु 03(8) मार्गो के फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण की संख्या व हटाये गये की संख्या प्रेषित किया जाना है।

Excel sheet format के मुख्य बिन्दुः–

1- **Institutional mechanism for Road Safety in states** के अन्तर्गत Action Plan के सापेक्ष yearwise target का विवरण, Format पर उपलब्ध कराया जाना है।

क्रमशः पेज 03 पर.....

2- Road Engineering Measure:-

(i) Road engineering measure के अन्तर्गत वर्ष 2013, 2014 व 2015 एवं वर्ष 2014, 2015 व 2016 में हुई दुर्घटनाओं के आधार पर Identifed Black Spot (93+65) के सापेक्ष की गई कार्यवाही का विवरण format प्रेषित किया जाना है।

(ii) आगणन, जिसकी लागत 10.00 करोड़ से अधिक हो, मार्ग की श्रेणी का विवरण सहित संख्या एवं उक्त आगणनों की संख्या के सापेक्ष Road Safety Auditor द्वारा Audit कराये गये आगणनों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराया जाना है।

तथा उक्त Format के दूसरे कॉलम में ब्लैक स्पॉट सम्बन्धित वांछित सूचना भी प्रेषित किया जाना हैं एवं उक्त format के अन्य कॉलम में Traffic calming techniques स्थापित किये जाने योग्य स्थलों की संख्या, लक्ष्यों व उपलब्धि के अनुसार विवरण प्रेषित किया जान है।

3- **Law Enforcement** के अन्तर्गत Removal of Hoarding & other distraction तथा removal of Pedestrian path Encrochment removal का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

कृपया प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए, उक्त बिन्दुओं पर सूचनाएं सम्बन्धित निर्माण एजेन्सीयों से संकलित कर नोडल अधिकारी (रोड़ सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून कार्यालय में प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि सूचनाओं को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति, भारत सरकार MOR&H नई दिल्ली को शीघ्र प्रेषित की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28/7/2017

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संज्ञानार्थ/सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– सचिव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– श्री के0पी0 उप्रेती, नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, ...वृत्त, लो0नि0वि0/रा0मा0.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)